

V

वित्तीय बाजारों का विनियमन और विदेशी मुद्रा प्रबंधन

वर्ष 2014-15 में रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजारों में सुधार हेतु कई उपाय किए। इन प्रयासों का उद्देश्य सहभागिता को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना और बाजार को गहन, प्रभावी, ऐक्सेस-योग्य और स्थिर बनाना है। समुचित लिखतों और पर्याप्त सहभागिता को महत्व देकर मुद्रा बाजार का विकास करना। इसके अलावा, इनका उद्देश्य विदेशी मुद्रा बाजार को व्यापक व गहन बनाने में योगदान हेतु विदेशी मुद्रा विनियमों को परिष्कृत व औचित्यपूर्ण बनाना था। डेरिवेटिव बाजारों के मामले में 2014-15 के दौरान ओवर द काउंटर एवं एक्सचेंज ट्रेडेड मुद्रा डेरिवेटिवों दोनों में प्रलेखन संबंधी अपेक्षाओं को सरल बनाने और सहभागिता को बढ़ाने के उद्देश्य से उपाय किए गए।

V.1 वित्तीय बाजारों को व्यापक व गहन बनाना और उनके विनियमन हेतु समुचित संरचना तैयार करना रिजर्व बैंक में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 2014-15 के दौरान 2013-14 की मौद्रिक नीति की दूसरी तिमाही समीक्षा में बताए गए पांच स्तंभों वाले दृष्टिकोण से अपनी विकासात्मक व विनियामक नीतियों के संचालन हेतु रिजर्व बैंक ने वित्तीय बाजार क्षेत्र के, खास तौर पर अस्थिर व अनिश्चित अंतरराष्ट्रीय परिवेश के परिप्रेक्ष्य में, विभिन्न खंडों की चलनिधि, कार्यकलाप और आघात-सहनीयता के स्तर में सुधार करने हेतु कई उपाय किए ताकि ये बाजार भारत की संवृद्धि के लिए वित्तपोषण करने में प्रभावी ढंग से मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकें। इन प्रयासों का उद्देश्य सहभागिता को बढ़ाना, प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा बाजारों को गहन, प्रभावी, ऐक्सेस-योग्य व स्थिर बनाना है।

V.2 मुद्रा बाजार के संदर्भ में मीयादी/रिपो बाजारों को और विकसित करने का प्रयास किया गया। जहां तक सरकारी प्रतिभूति (जी-सेक) बाजार का प्रश्न है पूर्व की भांति उद्देश्य यह रहा कि चलनिधि की स्थिति बेहतर करना और व्यापक सहभागिता, जिसके अंतर्गत विदेशी निवेशक और निवासी भारतीय शामिल हैं, को साकार करना। विदेशी मुद्रा बाजार के परिप्रेक्ष्य में चालू व पूंजी तथा आवक व जावक दोनों प्रकार के लेनदेनों के उदारीकरण पर जोर दिया गया। डेरिवेटिव खंड के संबंध में उद्देश्य यह था कि प्रक्रियाओं को सरल बनाकर सहभागिता को बढ़ाना। रिजर्व बैंक के तीन विभागों को मुख्यतः वित्तीय बाजारों के विकास एवं विनियमन, वित्तीय बाजार परिचालनों और विदेशी मुद्रा प्रबंधन की भूमिकाएं सौंपी गई हैं।

वित्तीय बाजार विनियमन विभाग (एफएमआरडी)

V.3 वित्तीय बाजारों का विनियमन, विकास और निगरानी समेकित तरीके से करने के अधिदेश से 03 नवंबर 2014 को एफएमआरडी की स्थापना की गई। इस विभाग के प्रमुख कार्यकलापों के अंतर्गत मुद्रा, जी-सेक, विदेशी मुद्रा और संबंधित डेरिवेटिव बाजारों का विनियमन एवं विकास करना शामिल है। यह विभाग वित्तीय बेंचमार्क संबंधी समिति (अध्यक्ष : श्री. पी. विजय भास्कर) की सिफारिशों को लागू करने, वित्तीय बाजार के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाने तथा बाजार निगरानी के लिए भी जिम्मेदार है। एफएमआरडी के एक अंश के रूप में बाजार आसूचना कक्ष की स्थापना करने का प्रस्ताव है। आगे यह विभाग (i) सभी सहभागियों के लिए बाजार ऐक्सेस संबंधी मानदंडों को आसान बनाने; (ii) उत्पादों के विकल्पों को बढ़ाने और सभी खंडों पर सहभागिता को बढ़ाने; (iii) वैश्विक मानकों के अनुरूप बाजार के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने; तथा (iv) नीतिगत निविष्टि के तौर पर बाजार विश्लेषण और निगरानी तंत्र का प्रयोग करने पर ध्यान केंद्रित करेगा।

2014-15 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.4 वर्ष 2014-15 के दौरान एफएमआरडी ने सहभागिता को बढ़ाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा बाजारों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से कई उपाय किए। रिजर्व बैंक को इस कार्य हेतु परामर्श प्रदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों के प्रतिनिधित्व को शामिल करते हुए अप्रैल 2015 में मुद्रा, फोरेक्स और जी-सेक बाजार संबंधी तकनीकी परामर्शदात्री समिति (टीएसी) (अध्यक्ष : हारून आर. खान) का गठन किया गया।

V.5 वित्तीय बेंचमार्क संबंधी समिति की सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से फरवरी 2015 में फाइनेंशियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) नामक एक नई कंपनी, जिसका प्रवर्तन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (फिम्डा), भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (फेडाई) और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है, का कार्य-संचालन शुरू हुआ। पहले कदम के तौर पर 22 जुलाई 2015 को एफबीआईएल ओवरनाइट मुंबई अंतर-बैंक पेशकश दर (एफबीआईएल-ओवरनाइट माइबोर) की शुरुआत की गई।

V.6 प्रमुख अंतर-बैंक ओवर-द-काउंटर (ओटीसी) विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों की कीमत व मात्रा की सूचना के प्रकटीकरण हेतु

भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड (सीसीआईएल) में एक समुचित सार्वजनिक प्रसार प्रणाली की स्थापना की जानी थी। तदनुसार, सीसीआईएल ने 13 अप्रैल 2015 से अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया वायदा और अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया करेंसी ऑप्शनों से संबंधित आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करना शुरू किया। इस प्रकार प्रसारित आंकड़े सकल आधारित थे, जिनमें टेनर-वार लेनदेन दर शुरुआती, उच्च, निम्न, अंतिम, भारित औसत दर (डब्ल्यूएआर), मात्रा और लेनदेनों की संख्या के रूप में अंतर्निहित अस्थिरता शामिल है (बॉक्स V.1)।

V.7 योजना के अनुसार शॉर्ट सेल के लिए सीमाओं को बढ़ाया गया है और ओटीसी बाजार में शॉर्ट सेल करने की अनुमति दी गई

बॉक्स V.1

जी20 की प्रतिबद्धताएं और भारत में ओटीसी डेरिवेटिव बाजार में सुधार

वर्ष 2007 के वैश्विक वित्तीय संकट के प्रतिक्रियास्वरूप जी20 ने वित्तीय प्रणाली के विनियमन और निगरानी को सुदृढ़ बनाने की दृष्टि से कई सुधारमूलक कदम उठाए तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) को इन कदमों के समन्वय का कार्य सौंपा। सुधारमूलक कदमों के अंतर्गत पारदर्शिता बढ़ाना और ओटीसी डेरिवेटिव बाजारों की आघात-सहनीयता को उन्नत बनाना शामिल है। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद (एफएसडीसी) की उप समिति के निदेशानुसार ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए गठित एक कार्यान्वयन समूह (अध्यक्ष: श्री आर. गांधी) ने इन सुधारमूलक कदमों के लिए रूपरेखा बनाई है।

मानकीकरण

- ऋण चूक स्वैपों (सीडीएस) में अंतर-बैंक व्यापारों और ओवरनाइट माइबोर पर आधारित रुपया ओवरनाइट इंडेक्स स्वैप (ओआईएस) के मानकीकरण किए जाने के बाद अन्य बेंचमार्कों के लिए संदर्भित ब्याज दर स्वैपों (आईआरएस) को चरणबद्ध रूप से मानकीकृत किया जाएगा।

- विदेशी मुद्रा डेरिवेटिवों के मानकीकरण के संबंध में 2015 के अंत तक कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि वे अक्सर 'बिल्कुल सादा' स्वरूप के होते हैं और करेंसी स्वैपों, विदेशी मुद्रा में आईआरएस (एफसीवाई) और ब्याज दर ऑप्शनों में बाजार चलनिधि कम रहती है।

- एक्सचेंज या इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफार्म ट्रेडिंग जैसे-जैसे फोरेक्स ऑप्शनों, करेंसी स्वैपों (सीएस), एफसीवाई-आईआरएस और एफसीवाई व सीडीएस में ब्याज दर ऑप्शनों का विकास होगा वैसे-वैसे ट्रेडिंग प्लैटफार्म शुरू करने की संभावनाओं पर विचार किया जाएगा।

ट्रेड रिपोर्टिंग (टीआर) को रिपोर्ट करना

- सभी ओटीसी फोरेक्स और ब्याज दर डेरिवेटिवों, रुपया आईआरएस/वायदा दर करार (एफआरए) और सीडीएस में ग्राहक के लेनदेनों के मामले में एफसीवाई ब्याज दर ऑप्शनों को तब रिपोर्टिंग ढांचे के अंतर्गत लाया जाएगा, जब चलनिधि में बढ़ोतरी होने लगेगी।

- अतः टीआर को ओटीसी डेरिवेटिवों की रिपोर्टिंग संबंधी जी20 प्रतिबद्धता के मामले में भारत पूर्णतः कंफ्लायंट बन गया है।

केंद्रीय समाशोधन

- 80 प्रतिशत से अधिक आईआरएस ट्रेडों को बिना किसी विनियामक अधिदेश के गैर-गारंटीकृत आधार पर केंद्रीय रूप से समाशोधित किया जाता रहा है। आईआरएस ट्रेडों के लिए समाशोधन आधारित केंद्रीय प्रतिपक्षकार (सीसीपी) उपलब्ध कराने हेतु सीसीआईएल को सिद्धांततः अनुमोदन दिया गया है, जिसका परिचालन शीघ्र ही शुरू होगा।

- फोरेक्स डेरिवेटिवों के मामले में फोरेक्स वायदों के सीसीपी समाशोधन को अनिवार्य बना दिया गया है। फोरेक्स ऑप्शनों के लिए सीसीपी समाशोधन, सीएस, आईआरएस और एफसीवाई में ब्याज दर ऑप्शनों तथा सीडीएस, जिनमें चलनिधि कम रहती है, की समीक्षा 2015 के अंत तक की जाएगी।

मार्जिन अपेक्षाएं

- ओटीसी डेरिवेटिवों, जिनके अंतर्गत सीडीएस भी शामिल है, के लिए विस्तृत तौर-तरीके मार्जिन अपेक्षाओं और अन्य अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों से संबंधित बासेल कार्य समूह की सिफारिशों पर विचार करने के बाद विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

गैर-केंद्रीकृत ओटीसी डेरिवेटिवों के लिए पूंजी अपेक्षाएं

- सीसीपी को दिए गए बैंकों के एक्सपोजर के लिए पूंजी अपेक्षाओं संबंधी नियम 01 जनवरी 2014 से लागू हुए हैं, जिनके कारण केंद्रीकृत समाशोधित उत्पादों के लिए पूंजी अपेक्षाएं कम हुई हैं। इसके अलावा, गैर-केंद्रीकृत समाशोधित डेरिवेटिवों के लिए ऋण मूल्यांकन समायोजन (सीवीए) पूंजी प्रभार को भी लागू कराया गया है।

है। प्रतिवर्ती रिपो के अंतर्गत अर्जित की गई जी-सेक का रि-रिपो करने की भी अनुमति दी गई है। जी-सेक में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की सहभागिता को सुसाध्य बनाना इस वर्ष का एक प्रमुख अधिदेश रहा। इस संबंध में एफपीआई को द्वितीयक बाजार में किसी प्रतिपक्षकार से सीधे जी-सेक अर्जित करने की अनुमति दी गई और इस प्रक्रिया में किसी दलाल की जरूरत ही नहीं पड़ती। जी-सेक में सभी एफपीआई लेनदेनों का निपटान टी+2 आधार पर करने की अनुमति दी गई है। एफपीआई को अपने निवेश पर प्राप्त कूपनों का जी-सेक की मौजूदा सीमा के बाहर पुनर्निवेश करने की अनुमति दी गई तथा उन्हें ऐसी कर्ज प्रतिभूतियों पर कूपन रसीदों को हेज करने की भी अनुमति दी गई जो आगामी 12 माह में देय होने वाली हों।

V.8 नए उत्पादों की शुरुआत और बाजारों को व्यापक बनाने के उद्देश्य से एक्सचेंजों में भारत सरकार की ऐसी प्रतिभूतियों पर 6-वर्षीय और 13-वर्षीय नकद निपटान ब्याज दर फ्यूचर्स (आईआरएफ) के लेनदेन की अनुमति दी गई जिनकी अवशिष्ट परिपक्वता अवधि क्रमशः 4-8 वर्ष और 11-15 वर्ष हो। ब्याज दर ऑप्शन प्रारंभ करने हेतु एक कार्यसमूह (अध्यक्ष : प्रो. पी.जी. आप्टे) का गठन किया गया है।

V.9 फोरेक्स बाजारों में प्रलेखन कार्य को कम बोझिल बनाने की दृष्टि से हेजिंग संस्था के सांविधिक लेखापरीक्षकों से अपेक्षित प्रमाणीकरण के स्थान पर उस संस्था के पदनामित अधिकारियों से ओटीसी और एक्सचेंज ट्रेडेड करेंसी डेरिवेटिव (ईटीसीडी) बाजार दोनों में वचन-पत्र लिया जाने लगा है। ओटीसी और ईटीसीडी बाजारों में आयातकर्ताओं के लिए हेजिंग की पात्र सीमाएं उनके पिछले कार्यनिष्पादन के आधार पर निर्यातकों के लिए निर्धारित सीमाओं के बराबर लाई गईं। बिना किसी अंतर्निहित एक्सपोजर तैयार करने की अपेक्षा के एक्सचेंजों पर अनुमेय पोजीशन सीमाओं को बढ़ाकर अमेरिकी डॉलर-भारतीय रुपया के लिए 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर तथा अन्य सभी करेंसी-युग्मों के लिए 5 मिलियन अमेरिकी डॉलर कर दिया गया है।

V.10 विदेशी संस्थाओं की ऑनशोर हेजिंग बाजारों तक पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) के ऋणदाताओं

को अपने विदेशी बैंक के साथ स्वैप लेनदेन करने की अनुमति दी गई, जिससे भारत में स्थित श्रेणी-1 के प्राधिकृत व्यापारी (एडी) बैंक के साथ ऋण समर्थित ऋण स्वैप लेनदेन किया जा सकेगा। ब्याज दर स्वैप्स (आईआरएस) में पारदर्शिता में सुधार लाने तथा भागीदारी को व्यापक बनाने के उद्देश्य से, आईआरएस करारों के लिए एक नामरहित इलेक्ट्रॉनिक व्यापार प्लेटफॉर्म 03 अगस्त, 2015 की सीसीआईएल द्वारा गारंटीशुदा निपटान के साथ प्रारंभ किया गया है जिसे एक दिनी माईबोर बेंचमार्क से संदर्भित किया गया है।

V.11 जहां तक कार्यान्वयन के लिए पहचाने गए कुछ क्षेत्रों का संबंध है हालांकि कार्रवाई शुरू की जा चुकी है फिर भी कार्यान्वयन पूरा नहीं हुआ है। तयशुदा लेनदेन प्रणाली ऑर्डर-मैचिंग (एनडीएस-ओएम) प्लैटफॉर्म के अपग्रेडेशन के मामले में सीसीआईएल को आवश्यक अनुमोदन दे दिए गए हैं। इस उद्देश्य के लिए संरचना, मेसेजिंग ढांचे और प्रौद्योगिकी की बुनियादी संरचना को अंतिम रूप दे दिया गया है, वहीं सॉफ्टवेयर का विकास अंतिम चरण में है।

V.12 भारत सरकार की कर्ज प्रतिभूतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय निपटानों की संभावनाओं का पता लगाना एक और योजनाबद्ध कार्रवाई रही। इस संबंध में भारत सरकार तथा यूरोक्लियर और क्लियरस्ट्रीम जैसी प्रमुख केंद्रीय सुरक्षा डिपाजिटरियों (आईसीएसडी) के साथ निरंतर विचार-विमर्श किया गया। सभी प्रकार की चिंताओं को दूर करने वाला एक व्यवहार्य तंत्र 2015-16 के दौरान शुरू होने की संभावना है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची

V.13 कर्ज प्रतिभूतियों में एफपीआई निवेश के लिए सीमा तय करने की पद्धति में पिछले कई वर्षों में बदलाव हुआ है। रिजर्व बैंक भारत सरकार के साथ परामर्श करके ये सीमाएं तय करने की संरचित प्रक्रिया शुरू करने के साथ ही आवधिक समीक्षाओं का ढांचा तैयार करना चाहता है। जी-सेक में रिटेल सहभागिता को बढ़ाने पर रिजर्व बैंक अपना ध्यान केंद्रित करता रहा है। सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल) के रूप से डीमैट रूप में तथा विलोमतः प्रतिभूतियों के निर्बाध अंतरण को साकार करने की दृष्टि से यह घोषणा की गई कि डीमैट खातेदारों को एनडीएस-ओएम पर लेनदेन करने का विकल्प

उपलब्ध कराया जाएगा। दिसंबर 2015 तक उपायों पर कार्रवाई करने हेतु सभी स्टेकहोल्डरों के प्रतिनिधियों को समाहित करते हुए एक कार्यान्वयन समूह का गठन किया गया है।

V.14 गहन व चलनिधि संपन्न कॉर्पोरेट बॉण्ड बाजार सदा ही भारत सरकार और वित्तीय विनियामकों के नीतिगत लक्ष्य का एक महत्वपूर्ण अंग रहा है। कॉर्पोरेट बॉण्डों में रिपो को मूर्त रूप देने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लैटफॉर्म की शुरुआत किए जाने पर विचार किया जाएगा। ओटीसी फोरेक्स बाजार में ऑपशन्स खंड को चलनिधि उपलब्ध कराने तथा सर्वांगीण सहभागिता को बढ़ावा देने की दृष्टि से निर्यातकों और आयातकों को अपने संविदागत एक्सपोजरों पर ऑप्शनों का रक्षित अधिलेख (राइट कवर) करने की अनुमति देने संबंधी अंतिम दिशानिर्देश सितंबर 2015 तक जारी किए जाएंगे। ब्याज दर ऑप्शनों संबंधी कार्य समूह की सिफारिशों के आधार पर अंतिम दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। बाजार के सहभागियों के लिए बेंचमार्क सबमिशन प्रथाओं के मूल्यांकन का ढांचा भी 2015-16 के दौरान निर्धारित किया जाएगा।

वित्तीय बाजार परिचालन विभाग (एफएमओडी)

V.15 संगठनात्मक पुनर्संरचना के एक भाग के रूप में निगरानी कार्य को अलग करने की दृष्टि से 3 नवंबर 2014 को पूर्ववर्ती वित्तीय बाजार विभाग (एफएमडी) से एफएमओडी की स्थापना की गई। इससे एफएमओडी प्रमुखतः परिचालनात्मक विभाग बन गया जो वित्तीय बाजार परिचालनों को दक्षतापूर्वक पूरा करने के लिए जिम्मेदार है। एफएमओडी की भूमिका तेजी से बढ़ती वास्तविक अर्थव्यवस्था को सहायता प्रदान करने हेतु सक्रिय, कारगर और स्थिर वित्तीय बाजारों को साकार करने की है।

वर्ष 2014-15 के लिए कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.16 एफएमओडी को प्रमुख रूप से रिजर्व बैंक की नीतियों के अनुसार बाजार परिचालन करने का कार्य सौंपा गया है। पिछले वर्षों की भांति वर्ष 2014-15 की कार्य-सूची में भी हाजिर और वायदा खंडों दोनों में अपने परिचालनों के माध्यम से फोरेक्स बाजार में सुव्यवस्थित परिस्थिति बनाए रखने को काफी महत्व दिया गया। चलनिधि प्रबंध परिचालनों के माध्यम से वित्तीय प्रणाली में चलनिधि को समुचित स्तर पर बनाए रखने की दिशा में भी प्रयास किए गए।

इसके अंतर्गत चलनिधि समायोजन सुविधा (स्थिर/परिवर्ती दर रिपो/विभिन्न स्वरूप के प्रतिवर्ती रिपो) और ओवरनाइट सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), अन्य स्थायी सुविधाएं तथा खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) शामिल हैं ताकि मौद्रिक नीति संकेतों का संचरण अधिक कारगर तरीके से करने की दृष्टि से मुद्रा बाजार की दरों एवं नीति दरों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सके। वित्तीय बाजारों और बाजार परिचालनों में हो रही गतिविधियों के संबंध में नियमित आधार पर विश्लेषण और अनुसंधान भी किए गए।

V.17 वर्ष 2014-15 के दौरान रुपया की विनिमय दर में स्थिरता दिखाई पड़ी, जबकि पिछले वर्ष जुलाई-अगस्त 2013 के दौरान रुपया में टैपर टेंटरम की वजह से अत्यंत उतार-चढ़ाव हुआ। बेहतर चलनिधि प्रबंध के लिए सितंबर 2014 में चलनिधि समायोजन सुविधा में परिवर्तन किया गया जिसके साथ ही दुरुस्ती की दृष्टि से परिवर्ती दर रिपो/प्रतिवर्ती रिपो नीलामियों के उपयोग के अलावा अधिक बारंबार विविध अवधि की मीयादी रिपो नीलामियां आयोजित की गईं। इन कदमों ने मुद्रा बाजार में अस्थिरता को कम करने और मुद्रा बाजार की दरों को नीति दरों के बिलकुल करीब लाने में मदद की।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची

V.18 इस विभाग का उद्देश्य चलनिधि प्रबंध परिचालनों को कारगर ढंग से पूरा करने, विदेशी मुद्रा परिचालन करने, जिसके अंतर्गत कारगर तरीके से मध्यक्षेप करना भी शामिल है, और वित्तीय बाजारों पर नीति-उन्मुख अनुसंधान करने के लिए प्रयास करते रहना है। इस विभाग का उद्देश्य सुचारु एवं अधिक लोचदार चलनिधि प्रबंध परिचालनों को साकार करने के लिए प्रौद्योगिकीय अपग्रेडेशन करना भी है।

विदेशी मुद्रा विभाग (एफईडी)

V.19 बढ़ते वैश्वीकरण और उभरती कारोबार प्रथाओं और मॉडलों के मद्देनजर विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा), 1999 के उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए निवासी भारतीयों और अनिवासी भारतीयों की आवश्यकताओं के बीच तालमेल बिठाना जरूरी है। चूंकि अल्पावधि से मध्यम अवधि में भारत को पूंजी घाटे की

स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, अतः विनियामक व्यवस्था के अंतर्गत एक ऐसा ढांचा होना चाहिए जो सरल, व्यापक व सिद्धांतों पर आधारित हो ताकि विनियामक लागत में कमी की जा सके और कारोबार भी निर्बाध रूप से चलाया जा सके। इसका कार्यान्वयन पूंजी खाता उदारीकरण की दिशा में प्रगति हासिल करने के अतिमहत्वपूर्ण सिद्धांत के तहत रहते हुए तथा समष्टि-विवेकपूर्ण स्थिरता संबंधी अड्चनों की परिस्थिति में किया जाना चाहिए। रिजर्व बैंक के अंतर्गत एफडीआई इस प्रयोजन के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2014-15 की कार्यसूची : कार्यान्वयन की स्थिति

V.20 बाह्य क्षेत्र में सामान्य स्थिति की बहाली को देखते हुए रिजर्व बैंक ने 2013-14 में उठाए गए कई आपातकालीन कदमों को वापस लिया तथा चालू खाता घाटे के वित्तपोषण के लिए मजबूत व स्थिर पूंजी प्रवाहों को सुनिश्चित करने और अर्थव्यवस्था की निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वित्तपोषण में अनुपूरक बचतों पर ध्यान केंद्रित किया। वर्ष 2014-15 में विदेशी निवेश व्यवस्था को और सरल बनाने तथा देशी फर्मों व विदेशी निवेशकों दोनों के लिए उसे और अधिक प्रयोक्ता-अनुकूल बनाने की दिशा में प्रयास किए गए। ईसीबी के मौजूदा ढांचे की समीक्षा पर भी विचार किया गया।

एफडीआई में छूट और एफपीआई व्यवस्थाएं

V.21 किसी भारतीय कंपनी द्वारा अंशतः अदा किए गए इक्विटी शेयरों और वारंटों के संबंध में एफडीआई और एफपीआई के लिए पात्र लिखतों की नीति की समीक्षा करने के बाद यह अनुमति दी गई कि उन्हें एफडीआई और एफपीआई योजनाओं के प्रयोजन से पात्र लिखत के रूप में माना जाए। एफडीआई ढांचे में और अधिक स्वतंत्रता व लचीलापन लाने की दृष्टि से सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में शेयरों, जो विकल्प खंडों वाले अनिवार्यतः परिवर्तनीय अधिमान शेयर/डिबेंचर हों या जो बगैर विकल्प खंडों वाले (आश्चस्त प्रतिफल के बिना) हों, के निर्गम व अंतरण के संबंध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार तथा गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के मामले में अंतरराष्ट्रीय रूप से स्वीकृत मूल्य-निर्धारण पद्धति के अनुसार स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर कीमत तय करने की अनुमति दी गई। इसके अलावा, भारतीय कंपनियों को उनके

द्वारा देय ऐसी निधियों पर इक्विटी शेयर जारी करने की अनुमति दी गई, जिनके विप्रेषण के लिए फेमा, 1999 या अन्य नियमों/विनियमों या निदेशों के अंतर्गत सरकार या रिजर्व बैंक से पूर्व अनुमति लेना अपेक्षित नहीं हो।

V.22 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के अनुकूल एफडीआई नीति के अनुसार श्रेणी-1 के एडी बैंकों को अनिवासी भारतीय द्वारा निवेशक/निवेशकों द्वारा धारित किसी भारतीय कंपनी के इक्विटी शेयरों की गिरवी रखे जाने हेतु अनुमति दी गई ताकि निवासी भारतीय निवेशिती कंपनी को दी गई ऋण सुविधाओं को प्रतिभूत किया जा सके। सरकार द्वारा एफडीआई नीति में घोषित परिवर्तनों के बाद (क) सरकारी अनुमोदन मार्ग के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में 49 प्रतिशत तक; (ख) स्वचालित मार्ग के अंतर्गत रेलवे बुनियादी ढांचे और चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में 100 प्रतिशत तक विदेशी निवेशों को सुसाध्य बनाने हेतु विनियमों में संशोधन किया गया। इसके अलावा, बीमा क्षेत्र में एफडीआई के 26 प्रतिशत के पूर्ववर्ती स्तर को बढ़ाकर 49 प्रतिशत कर दिया गया।

V.23 22 जनवरी 2015 को रिजर्व बैंक ने नई निक्षेपागार रसीद योजना, 2014 अधिसूचित की जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों को निक्षेपागार रसीदों में अंतरित किए जाने के उद्देश्य से विदेशी निक्षेपागार को पात्र प्रतिभूतियां जारी या अंतरित करने के लिए पात्र बनता है।

ईसीबी के ढांचे की समीक्षा

V.24 ईसीबी के कार्य का दायरा बढ़ाया गया और मान्यता-प्राप्त अनिवासी भारतीय ऋणताओं को पात्र निवासी भारतीय उधारकर्ताओं को भारतीय रुपया में ऋण देने की अनुमति दी गई। यह सुविधा ईसीबी व्यवस्थाओं की संरचना तैयार करने का अवसर प्रदान करने के अलावा उधारकर्ताओं से ऋणदाताओं पर मुद्रा जोखिम अंतरित करती है। ईसीबी की प्राप्तियों के डा-डाउन की व्यवस्था बेहतर ढंग से तैयार करने तथा अनुमत अंतिम प्रयोजनों के लिए उनके परवर्ती उपयोग को साकार करने की दृष्टि से पात्र ईसीबी उधारकर्ताओं को भारत में स्थित श्रेणी-1 के एडी बैंकों में मीयादी जमा में ईसीबी प्राप्तियां उपयोग करने तक और अधिकतम छह माह की अवधि के लिए रखने की अनुमति दी गई। ईसीबी जुटाने के लिए पात्र प्रतिभूतियों के सेट को अपेक्षाकृत और व्यापक बनाया गया जिसके

अंतर्गत अचल आस्तियों के अलावा चल आस्तियों तथा वित्तीय प्रतिभूतियों को भी शामिल किया गया।

गैर-ट्रेड जावक विप्रेषणों और यात्रा-संबंधी लेनदेनों का सरलीकरण

V.25 विदेशी संयुक्त उपक्रमों (जेवी), पूर्णतः स्वाधिकृत अनुषंगी संस्थाओं (डब्ल्यूओएस) तथा उप अनुषंगी संस्थाओं के लिए निवासी भारतीयों को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित सुविधाएं प्राप्त करने का अवसर प्रदान करने की दृष्टि से प्रत्यक्ष ओवरसीज निवेश (ओडीआई) से संबंधित नीतियों को उधार बनाया गया। इसके अंतर्गत अन्य बातों के साथ-साथ अपनी विदेशी एसडीएस के शेयरों का गिरवी रखा जाना और देशी/ विदेशी आस्तियों पर ऋण-भार का सृजन करना भी शामिल है।

V.26 हाल में पूंजी अंतर्वाह में आई तेजी को बनाए रखने तथा समष्टि विवेकपूर्ण प्रबंधन के अंश के रूप में उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत सीमा को 1,25,000 अमेरिकी डॉलर प्रति व्यक्ति प्रति वित्तीय वर्ष के मौजूदा स्तर से बढ़ाकर 2,50,000 अमेरिकी डॉलर कर दिया गया। इसके अलावा, लेनदेनों को आसान बनाने की दृष्टि से विदेशी मुद्रा प्रबंध (चालू खाते के लेनदेन) नियमावली, 2000, समय-समय पर यथासंशोधित, की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निवासी भारतीयों को उपलब्ध चालू खाते के लिए एक्सचेंज/ विप्रेषणों को निर्मोचित करने की सभी सुविधाएं इस सीमा के अंतर्गत शामिल की गईं।

V.27 नेपाल और भूटान की यात्रा पर जाने वाले लोगों को होने वाली कठिनाइयों को दूर करने की दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति के लिए ₹25,000 के मूल्य तक उच्चतर मूल्य वर्ग के नोट ले जाने की अनुमति दी गई। इससे पहले, उक्त दो देशों की यात्रा पर जाने वाले लोगों को बिना किसी सीमा के केवल ₹100 तक के मूल्यवर्गों में भारतीय मुद्रा ले जाने की अनुमति दी गई थी।

निर्यात संबंधी आंकड़ा प्रसंस्करण और निगरानी प्रणाली (ईडीएमपीएस)

V.28 आंकड़ों की रिपोर्टिंग को प्रभावी व सरल बनाने के साथ ही निर्यात संबंधी लेनदेनों की अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी निगरानी को मूर्त रूप देने के लिए मार्च 2014 में ईडीएमपीएस शुरू की

गई। निर्यात संबंधी सभी लेनदेनों के लिए ईडीएमपीएस में एक एकल मास्टर डेटाबेस है और इसका प्रयोग सर्वसंबंधितों द्वारा किया जाता है (यथा- भारतीय रिजर्व बैंक, सीमा-शुल्क विभाग और बैंक)। ईडीएमपीएस ने निर्यात संबंधी ऐसे लेनदेनों में रहने वाली विसंगतियों के लंबे अरसे के मुद्दे को कारगर ढंग से दूर कर लिया जिनकी रिपोर्टिंग सीमा-शुल्क विभाग द्वारा की गई हो, लेकिन उनका पता बैंकिंग चैनल में नहीं चला हो।

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी)

V.29 आईएफएससी के कार्यसंचालन को सुसाध्य बनाने हेतु मार्च 2015 में विनियमावली तैयार की गई जिसके अंतर्गत किसी वित्तीय संस्था या वित्तीय संस्था की किसी शाखा को भारत के बाहर रहने वाले व्यक्ति के रूप में माना जाएगा तथा भारत के निवासी व्यक्ति के साथ किए जाने वाले उनके लेनदेनों को उस प्रकार से माना जाएगा जिस प्रकार एक अनिवासी और निवासी भारतीय के बीच होने वाले लेनदेनों को माना जाता हो तथा यह फेमा, 1999 के प्रावधानों के अधीन है।

रुपय में अंकित विदेशी बांड

V.30 कुछ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को 2013 से विदेशी बाजारों में रुपया बॉण्ड जारी करने की अनुमति दी गई, जिस पर काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। रिजर्व बैंक ने भारत सरकार के साथ परामर्श करने के बाद अप्रैल 2015 के मौद्रिक नीति वक्तव्य में यह निर्णय लिया था कि पात्र भारतीय कॉर्पोरेटों को रुपया मूल्यवर्ग बॉण्ड जारी करने हेतु ईसीबी जुटाने की अनुमति दी जाए। बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं और पात्र उधारकर्ताओं द्वारा रुपया संबद्ध बॉण्डों के विदेशी निर्गम संबंधी ढांचे का प्रारूप सार्वजनिक डोमेन पर रखा गया तथा इससे संबंधित नीति को शीघ्र ही अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है।

वर्ष 2015-16 के लिए कार्यसूची

V.31 विदेशी मुद्रा प्रबंध की दिशा में देश द्वारा हासिल की गई प्रगति को ध्यान में रखते हुए तथा कारोबार संचालन को आसान बनाने की दृष्टि से उभरते कारोबार मॉडलों व प्रथाओं तथा फेमा, 1999 के अंतर्गत जारी किए गए विनियमों में तालमेल बिठाना जरूरी है। तदनुसार, रिजर्व बैंक ने प्रस्ताव किया है कि (i) फेमा के अंतर्गत जारी की गई अधिसूचनाओं, जिनकी शुरुआत पिछले वर्ष

की गई थी, को औचित्यपूर्ण एवं सरल बनाने का कार्य पूरा किया जाए; (ii) प्रश्नाधीन विषय से संबंधित सभी अनुदेशों को समाहित करने वाली मास्टर विनियमावली को और यूज़र फ्रेंडली तरीके से जारी किया जाए; तथा (iii) विदेशी मुद्रा के प्रयोक्ताओं पर पड़ने वाले विनियामक बोझ को कम करने हेतु उसमें प्रस्तुत विवरणियों को युक्तियुक्त बनाया जाए। ईसीबी दिशानिर्देशों को सरल बनाने का कार्य एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तथा रिजर्व बैंक देशी व

विदेशी पूंजी बाजारों तक पहुंच बनाने संबंधी ढांचे की समीक्षा करते समय इस समिति की सिफारिशों का ध्यान रखेगा (दूसरा चरण, भाग- II : विदेशी मुद्रा उधार, रिपोर्ट; III अध्यक्ष : श्री एम.एस. साहू)। रिजर्व बैंक आईडीपीएमएस के स्थायित्व से प्रोत्साहित होकर सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करके आयात संबंधी आंकड़ा प्रोसेसिंग तथा निगरानी प्रणाली (आईडीपीएमएस) की स्थापना हेतु कार्रवाई शुरू करेगा।